


28/11/21

पुनः प्रमाण पत्रों का कथन है कि वारी द्वारा प्राप्त अनुलोप प्राप्त हो चुका है अतः दावा पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं लेकिन हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में स्थगन आदेश का अंकित नोट लगा हुआ उसे ध्यान जावे। पुरोकार सरकार का कथन है कि वारी अपने वाद पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते तथा हाल जमाबंदी में स्थगन नोट को हटाने पर तत्परिष्कार को कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि वारी अपने वाद में कोई अनुलोप वर्तमान में नहीं चाहते हैं अतः TDR आवक को आदेश दिया जाता है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में स्थगन आदेश नोट के अंकन को हटाया जावे। चूंकि वारी वाद में कोई अनुलोप वर्तमान में नहीं चाहते हैं अतः वारी का वाद लागू किया जाता है पत्रावली वाद तक सीधे भग्ना से कर होकर दायित्व दफ्तर हो।


 28/11/21

(सुनका)


 सहायक जलपर
 जलपर